



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-312/2022

दिनांक- 22-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- सिधारी

गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक- 16.11.2021 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सिधारी द्वारा लिखित तहरीर देकर 5-6 किलोग्राम प्रतिबंधित गोमांस बरामद कर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 286/21 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना उ0नि0 अवधेश कुमार द्वारा की जा रही थी। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त एहतसाम पुत्र महबूब निवासी गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 22.9.2022 को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराही हे0कां0 धर्मराज भारती, कां0 अजीत कुमार सिंह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त एहतसाम पुत्र महबूब निवासी गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर गौरडीह खालसा नहर पुलिया के पास से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसको मा0न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0- 286/21 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 157/21 धारा 147/148/323/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 286/21 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 31/22 धारा 34/427/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

नाम पता अभियुक्त

1. एहतसाम पुत्र महबूब निवासी गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 अवधेश कुमार हे0कां0 धर्मराज भारती कां0 अजीत कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- रौनापार

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - थाना रौनापार क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि खुद की पोती उम्र लगभग 16 वर्ष दिनांक 09.09.22 को समय करीब 09 बजे सुबह घर से स्कूल के लिए गयी तथा घर वापस न आयी तथा छानवीन करने पर पता लगा कि विपक्षी सुनील यादव द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 322/2022 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम (1) सुनील यादव पुत्र गनपत यादव सा0 हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार मय हमराह फोर्स के दिनांक 22.09.2022 मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त सुनील यादव पुत्र गनपत यादव सा0 हैदराबाद थाना रौनापार आजमगढ़ को करखिया मोड़ से समय करीब 10.25 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसको मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 322/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त - सुनील यादव पुत्र गनपत यादव सा0 हैदराबाद थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री कौशल कुमार पाठक उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार रौनापार का0 अमरेश पासवान जनपद आजमगढ़

थाना- रौनापार

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ थाने का टाप टेन अपराधी गिरफ्तार; आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज।

उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अन्तर्गत त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग सूचना पर रमेश के मुर्गी फार्म के पास ग्राम हैदराबाद से समय करीब 05.55 बजे एक **अभियुक्त/टाप टेन भागवत यादव पुत्र रामधनी यादव सा0 हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़** को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 330/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 60/16 धारा 307/504/506 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 61/16 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़
3. एनसीआर 2/13 धारा 323/504/506 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 168/16 धारा 392/411/201/120बी भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़
5. मु0अ0सं0- 185/16 धारा 41/411/414 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 24/17 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना महाराजगंज आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 38/17 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 485/11 धारा 147/148/149/302/34 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 330/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त/टाप टेन का नाम व पता:- भागवत यादव पुत्र रामधनी यादव सा0 हैदराबाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
बरामदगी- एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

2. थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार का0 अमरेश पासवान का0 इन्द्रजीत गौड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक- 18.03.2022 श्रीमती शीला देवी पत्नी लालमन सा0 जुड़ाखुर्द कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर शिकायत की गयी कि विपक्षी ने पुराने मुकदमें के विवाद को लेकर वादिनी के पति लालमन व अवधेश पुत्र संतलाल व हिमांशु पुत्र अरबिन्द को जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा व लोहे की राड से सिर पर मारना पीटना जिससे वादिनी के पति लालमन का मौके पर बेहोश हो गया तथा बीच बचाव करने आये राकेश को भी मारना पीटना व गाली गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 74/2022 धारा 307/308/323/504/506/34 IPC बनाम 1. दिलीप पुत्र सुमेर 2. फूलबदन पुत्र सुमेर 3. राजबली पुत्र पल्टन निवासीगण बीबीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ वतपत्तीशी उ0नि0 अमरनाथ यादव के पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी की विवरण- आज दिनांक 22.09.22 को उ0नि0 सुभाषचन्द्र दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजबली पुत्र पल्टन सा0 बीबीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के घर पर दबिश दिया गया तो अभियुक्त उपरोक्त घर पर मौजूद मिला अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर मौके से समय 08.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 74/2022 धारा 307/308/323,504,506/34 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. राजबली पुत्र पल्टन सा0 बीबीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुभाषचन्द्र दुबे व का0 मिथिलेश पासवान थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना जीयनपुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.9.2022 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0 587/2022 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कामरान पुत्र शमशाद निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को बागखालिस बाजार से समय करीब 06.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग – मु0 अ0 सं0 587/2022 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास – मु0अ0सं0 06/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. मु0अ0 सं0 202/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 333/2017 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 36/2017 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - कामरान पुत्र शमशाद निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – 1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।